राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (National Scholarship Portal) पर ऑनलाईन पंजीकरण/ नवीनीकरण

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा वर्ष 2008 से **राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना (**National Means-cum-Merit Scholarship Scheme**)** की शुरूआत आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को उनकी माध्यमिक स्तर तक (कक्षा 9 से कक्षा 12 तक) की शिक्षा जारी रखने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गयी। वर्ष 2008 से वर्ष 2017 तक **राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति चयन परीक्षा** में सफल घोषित छात्रों की सूची विद्यालयों /जनपदों से प्राप्त कर राज्य स्तर पर संकलित कर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की जाती रही है। वर्ष 2018 से NMMSS छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु सभी चयनित अर्ह छात्र/छात्राओं को **नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल** (NSP) पर ऑनलाइन पंजीकरण/नवीनीकरण करना अनिवार्य है। **नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल** (NSP) पर ऑनलाइन पंजीकरण/नवीनीकरण से संबंधित कार्यों का अनुश्रवण एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड द्वारा किया जाता है।

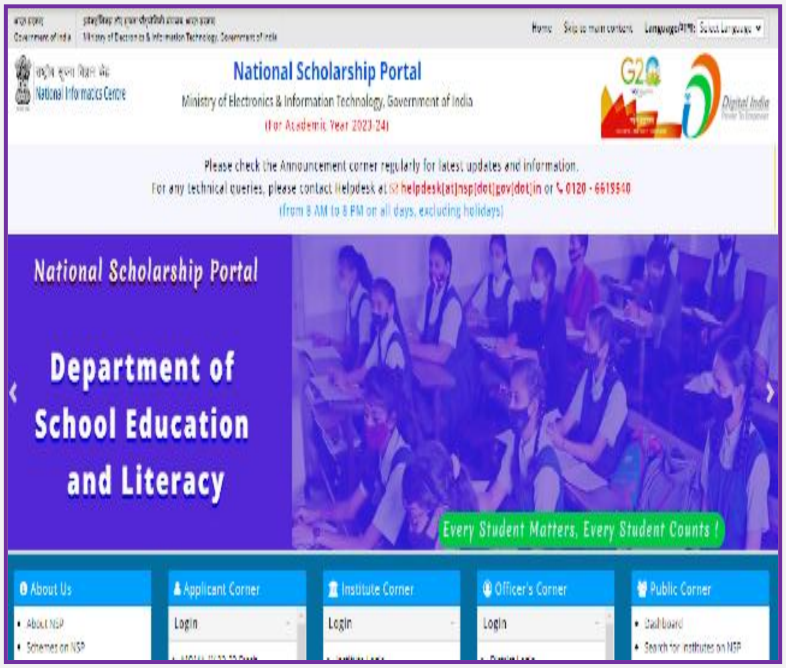

राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति (NMMSS) प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया :

NMMSS छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु सभी चयनित अर्ह छात्र/छात्राओं को **प्रति वर्ष नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल** (NSP) पर ऑनलाइन पंजीकरण/नवीनीकरण करना अनिवार्य है। अतः ऑफलाइन प्रस्ताव किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किए जाते हैं। **नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP)** छात्रों के आवेदन स्वीकार करने हेतु अगस्त–सितंबर माह से प्रारम्भ होकर माह 30 अक्टूबर–नवम्बर (संभावित) तक खुला रहता है।

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया :

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर छात्र/छात्रा द्वारा पंजीकरण स्वयं विद्यालय की सहायता से किया जाता है। नवीन पंजीकरण उन छात्र/छात्राओं द्वारा किया जाता है, जिन्हें गत वर्ष की NMMSS परीक्षा में सफल घोषित किया गया हो। उदाहरण के लिए NMMSS 2023 **(दिनांक 20 नवम्बर 2022 को संपन्न)** की परीक्षा में सफल घोषित छात्र अगस्त 2023 से पोर्टल खुलने के पश्चात बंद होने (30 सितम्बर संभावित तिथि) तक आवेदन कर सकते हैं।

- चयनित छात्र/छात्रा **National Scholarship Portal** की बेबसाइट www.scholarships.gov.in पर जाकर **"New registration"** पर क्लिक कर अपना पंजीकरण करेंगे।
- तत्पश्चात Application ID प्राप्त कर "Apply to login" पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरकर जमा करेंगे।
- पंजीकरण हेतु NMMS चयन परीक्षा का अनुक्रमांक अनिवार्य है।
- चयनित छात्र/छात्राओं को अधिमानतः भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या किसी अनुसूचित बैंक में, जिसमें कोर बैंक सुविधा उपलब्ध हो; बैंक खाते खोलने होंगे।
- पंजीकरण से पूर्व प्रत्येक छात्र/छात्रा का अपने बैंक खाते को अपनी आधार संख्या से लिंक करना अनिवार्य है।

विगत वर्षों के NMMSS चयनित ऐसे अर्ह छात्र/छात्रा जो वर्तमान सत्र में कक्षा 10, कक्षा 11 एवं कक्षा 12 में अध्ययनरत हैं तथा जिनका गत वर्ष ऑनलाइन पंजीकरण/नवीनीकरण (जो लागू हो) हुआ है उन्हें वर्तमान शैक्षिक सत्र की छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन नवीनीकरण करना होगा। उदाहरण के लिए NMMSS 2020, NMMSS 2021, NMMSS 2022 के चयनित अर्ह छात्र/छात्रा सत्र 2023–24 की छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु **नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल** (NSP) पर नवीनीकरण करेंगे।

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया :

पंजीकृत छात्र/छात्राओं का प्रथम चरण का ऑनलाइन सत्यापन प्रधानाचार्य (Institute Nodal Officer) द्वारा किया जाता है। द्वितीय चरण का ऑनलाइन सत्यापन मुख्य शिक्षा अधिकारी (District Nodal Officer) द्वारा किया जाता है। किसी भी स्तर पर सत्यापन उसी छात्र/छात्रा का किया जाता है जो अर्हता की सभी शर्तें पूरी करता हो।

जनपद द्वारा सत्यापित अर्ह छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति की धनराशि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (Aadhaar enabled Payment System) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा सीधे उनके आधार से लिंक बैंक खातों में अवमुक्त की जाती है।

छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवश्यक अर्हताएँ :

- छात्र/छात्रा राजकीय व राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं (केन्द्रीय व आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) में अध्ययनरत हो।
- ऐसे छात्र/छात्रा जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय **3.5 लाख से अधिक** है वह छात्रवृत्ति हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- नए पंजीकृत छात्र/छात्रा ने कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा **55 प्रतिशत** (आरक्षित वर्ग SC/ST हेतु 50 प्रतिशत) के साथ उत्तीर्ण की हो।
- विगत वर्षों के पंजीकृत छात्र/छात्रा ने कक्षा 9 एवं कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण की हो तथा कक्षा 10 की वार्षिक परीक्षा **60 प्रतिशत** (आरक्षित वर्ग SC/ST हेतु 55 प्रतिशत) अंको सहित उत्तीर्ण की हो।
- छात्र/छात्रा नियमित रुप से अध्ययनरत हो तथा चयन के बाद किसी भी छात्र–छात्रा को पूर्व में अनर्ह घोषित न किया गया हो।